गुणवत्ता नीति

1. प्रस्तावनाः

विश्व के अधिकतर विकसित देशों ने गुणवत्ता अनुरक्षण हेतु ऐसे पर्यावरण में जिसमें पारंपरिक अध्यापन–अध्ययन, अनुसंधान तथा प्रबन्धन पर अत्यधिक दबाव हो गुणवत्ता आश्वासन की औपचारिक, पारदर्शी तथा विश्वसनीय प्रणाली को अपनाया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा में हो रहे परिवर्तनों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा सुधार तथा युजीसी/एमएचआरडी निर्देशों के ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता–आश्वासन नीति को लागू करना आवश्यक है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अपने दूरदर्शी संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा सोची गई समाज के विभिन्न अंगों को गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में गुणवत्ता–आश्वासन का निस्पादन हेतु आंतरिक तथा बाह्य दोनो माध्यमों हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं। इन क्रियाविधिओं को विश्वविद्यालय के प्रसार, शिक्षा के वैश्विकरण तथा उच्च शिक्षा की अभिगम्यता में वृद्धि की चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए इसका पुनर्गठन, संगठन तथा सशक्तिकरण करना होगा।

विश्वविद्यालय अपनी गुणवत्ता नीति के द्वारा एक ऐसे गुणवत्ता–आश्वासन का ढांचा बनाएगी जिससे संस्थागत गुणवत्ता–आश्वासन प्रणाली के लिए स्पष्ट सिद्धान्त, दिशानिर्देश तथा कार्यप्रणाली प्रतिपादित करे। यह विश्वविद्यालय में गुणवत्ता–आश्वासन के संस्थागत दिशानिर्देशों को रेखांकित तथा गुणवत्ता की संरचना का संगठन तथा प्रबन्धन करता है।

2. अवलोकन

समाज के संपोष्य विकास के लिए कला के सदृश्य अनुसंधान, अध्यापन एवं अध्ययन स्त्रोतों तथा शैक्षणित तथा मानवीय मूल्यों, तथा आचारनीति के माध्यम से उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक माहौल बना कर शैक्षणिक उत्कृष्टता का केन्द्र बनना।

3. लक्ष्य

गुणवत्तायुक्त अध्यापन–अध्ययन, अनुसंधान, बाह्य सेवाएं तथा मानव सेवा हेतु शिक्षा एवं संस्थाओं के प्रबन्ध को सुनिश्चित करना।

4 उद्देश्य

गुणवत्ता नीति के मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्य हैंः

(क) आन्तरिक तथा बाह्य गुणवत्ता–आश्वासन प्रक्रियाओं तथा कार्यप्रणाली को लागू तथा विकसित करने हेतु दिशानिर्देश देना

(ख) भागीदार की आकांक्षा स्तर के अनुरूप शैक्षणिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना

(ग) स्नातकों द्वारा भागीदारों द्वारा मान देने लायक ज्ञान तथा कौशल सुनिश्चित करना

(घ) विश्वविद्यालय को इस लायक बनना जिससे कि विश्वविद्यालय के विकास, अनुरक्षण गुणवत्ता की वृद्धि की सभी नीतियाँ, प्रणालियाँ तथा प्रक्रियाएं प्रभावी ढंग से संचालित रहें

(ड) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में निहित आन्तरिक तथा बाह्य मानदण्ड तथा मानक की पहचान के लिए दिशानिर्देश देना

(च) सहायक प्रक्रियाओं में वृद्धि कर शैक्षणिक कार्यक्रमों के विकास एवं अनुरक्षण में सहायता देना

(छ) शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर गुणवत्ता सुधार की संस्कृति को प्रश्रय देना

(ज) लघु, मध्यम तथा लम्बी अवधि के निरंतर सुधार के लिए सशक्त एवं उत्कृष्ट विषयों के साथ साथ लक्षित ध्यान विषयों की पहचान करना

5. आधारभूत सिद्धान्त

विश्वविद्यालय की गुणवत्ता नीति के आधारभूत सिद्धान्तों में पूर्णतावादी पद्धति, बेंचमार्किंग, उत्तरदायित्वता के उपाय, छात्रों द्वारा स्व मुल्यांकन, शैक्षणि, प्रशासनिक तथा सहायक कर्मचारियों के गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास, स्त्रोतों का श्रेष्ठतम उपयोग तथा निरंतर सुधार शामिल है।

6. गुणवत्ता–आश्वासन

गुणवत्ता–आश्वासन किसी भी संस्था के उद्देश्यों को परिभाषित करने, उनको प्राप्त करने की कार्य योजना तथा प्रत्येक कार्य की पूर्णता के लिए चल रहे आंकलन के पणताल एवं संतुलन का उपउत्पाद है। गुणवत्ता–आश्वासन के निम्नलिखित लक्षण हैंः

6.1 कर्मचारियों, छात्रों तथा अन्य हितधारकों द्वारा व्यापक गुणवत्ता– आश्वासन प्रक्रिया में प्रतिबद्धता

(i) शैक्षणिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों का आलोचनात्मक स्व मूल्यांकन तथा कठोर श्रेष्ठ स्वयं मूल्यांकन

(ii) सेवा संतुष्टि तथा छात्रों के अनुभव सहित बाह्य तुलनाओं का विधिवत संचयन

(iii) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का न्युनतम मानदण्डों सहित प्रत्यायन द्वारा बाह्य मूल्यांकन तथा पुर्नअवलोकन

(iv) छात्रों के लिए बहु मार्ग तथा गुणवत्ता–आश्वासन में कर्मियों का योगदान तथा संस्थानों, संकायों, महाविद्यालयों, विभागों, पाठशालाओं, सेवाओं, शैक्षिक संरचनाओं तथा छात्र परिषदों के प्रदर्शन में उन्नति

(v) पाठ्यक्रमों तथा अध्ययन सूची को उन्नत बनाने के लिए उहितधारकों के अनुभवों का सुनियोजित उपयोग तथा कर्मचारियों के लिए विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का रोपण करना

6.2 उत्कृष्टता को प्राप्त करने तथा निरंतर सुधार को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्रबन्धन, योजना तथा संसाधन प्रक्रियाओं पर केन्द्रित होना

(i) विश्वविद्यालय–व्याप्त योजनाएं, प्राथमिकताएं तथा पुर्नअवलोकन प्रणाली संबद्ध सामरिक लक्ष्य

(ii) शैक्षिक नीतियों के विकास, लागू करने तथा देख–रेख हेतु प्रभावी शैक्षणिक ढांचा
(iii) सभी संकायों एवं प्रशासनिक सेवा इकाइयों के पुर्नअवलोकन का एक नियमित चक्र
(iv) संयोजित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पुर्नअवलोकन प्रक्रियाएं
(v) विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से अनुसंशाओं को लागू करने के लिए निगरानी प्रक्रिया
(vi) अध्यापन एवं अनुसंधान के लिए प्रदर्शन आधारित लाभ
(vii) उन्नति हेतु पहचाने गए क्षेत्रों के लिए वित्तीय व्यवस्था
(viii) अध्यापकों के अध्यापन तथा अध्ययन योजनाओं का वार्षिक नवीनीकरण
(ix) कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन प्रबन्धन तथा विकास प्रणाली

6.3 उच्चतम बाह्य मानदण्डों तथा तलचिन्हों के अनुरूप परिणाम तथा प्रक्रियाओं के आंकलन की प्रतिबद्धता

(i) विश्व के शीर्ष के विश्वविद्यालयों से औपचारिक सम्बन्ध स्थापित करना तथा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक मानदण्ड तथा परिणामों के तलचिन्ह बनाना
(ii) गुणवत्ता–आश्वासन प्रक्रियाओं का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय तलचिन्ह बनाना

7. गुणवत्ता–आश्वासन हेतु संगठनात्मक संरचना

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council (NAAC)) द्वारा 2006 में 'ए' श्रेणी प्रदान किया गया है। एनएएसी की वार्षिक राष्ट्रीय कार्यन्वयन योजना के अन्तर्गत प्रत्यायित संस्थाओं द्वारा 'आन्तरिक गुणवत्ता–आश्वासन प्रकोष्ठ' (आईक्युएसी) को बाद के प्रत्यायन गुणवत्ता धारणीयता उपाय के रूप में स्थापित करना आवश्यक है। तदनुसार विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में 'आन्तरिक गुणवत्ता–आश्वासन प्रकोष्ठ' (आईक्युएसी) स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय की गुणवत्ता नीति को लागू करने में आईक्युएसी केन्द्रीय बिन्दू होगा तथा विश्वविद्यालय के प्रदर्शन के सचेत, निर्बाध एवं उत्प्रेरक उन्नयन हेतु गुणवत्ता वृद्धि तथा धारणीयता के लिए एक प्रणाली विकास का कार्य करेगा। तदनुरूप संकायों/संस्थानों के स्तर पर संकायाध्यक्षों/निदेशकों की अध्यक्षता में सहायता तथा समर्थन हेतु आईक्युएसी स्थापित किये जाएंगे।

संस्थाओं के संचालन के विभिन्न पहलुओ से संबन्धित विश्वविद्यालय की सभी कार्यप्रणालियों को उन्नत बनाने के दृष्टिकोण से डाटा एवं सूचना एकत्रित करने हेतु आईक्युएसी प्रक्रिया एवं तौर–तरीके निर्मित करेगी। इन प्रयासों का लक्ष्य उच्च शिक्षा से जुड़े सभी हितभागियों–विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक, कर्मचारी, संभावित नियोजनकर्ता, वित्तीय अनुदान देने वाले अभिकरण तथा समाज के लिए संस्था की जवाबदेही तथा स्वयं की गुणवत्ता एवं सत्यनिष्ठा होगा।

गुणवत्ता–आश्वासन का प्रयास संस्थागत नियंत्रण एवं निर्देशों के स्थान पर सुधार के लिए प्रतिबद्धता होना चाहिए। अतः विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की अपने व्यावसायिक ड्युटी से सम्बन्धित कार्य की गुणवत्ता तथा के प्रति निर्धारित जिम्मेदारी होनी चाहिए जिससे शिक्षा के उच्चतम गुणवत्ता को प्राप्त किया जा सके। इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय में स्वयं हेतु अच्छे अध्ययन परिणाम तथा प्रभावी गुणवत्ता सुधार के लिए शोध छात्रों की भागीदारी पूर्वअपेक्षित है।

8. गुणवत्ता–आश्वासन की विधी

विश्वविद्यालय द्वारा गुणवत्ता की अवधारणा के ढांचे को अन्तर्निहित करने का अर्थ है 'प्रयोजन के लिए दुरूस्त' इसका अर्थ है– किसी संस्था की गतिविधियाँ एवं संघठक 'गुणवत्तायुक्त' हैं यदि वे विन्यास के अनुसार प्रयोजन के अनुरूप कार्य करते हैं। गुणवत्ता–आश्वासन विश्वविद्यालय के सभी संस्थानों, संकायों, महाविद्यालयों, विभागों, पाठशालों तथा शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा सहायक कर्मचारियों पर निम्नानुसार प्रयुक्त होगाः

(i) आन्तरिक गुणवत्ता–आश्वासन पद्धति– निरंतर

(ii) बाह्य गुणवत्ता–आश्वासन पद्धति– आवर्ती

विश्वविद्यालय सभी संस्थानों, संकायों, महाविद्यालयों तथा पाठशालों के लिए गुणवत्ता प्रबन्धन ढांचा बनाएगी। गुणवत्ता नीति को लागू करने के लिए नियमित आन्तरिक लेखा–परीक्षा सुनिश्चित करेगी।

8.1 आन्तरिक गुणवत्ता–आश्वासन

आईक्युएसी गुणवत्ता मैनुअल विकसित करेगी जिसमें विविध तलचिन्ह एवं उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया दी जाएगी। इस मैनुअल में गुणवत्ता–आश्वासन प्रणाली का विवरण होगा जिसमें निर्देशों का समुच्चय, स्वस्थ कार्यप्रणाली के कूट एवं प्रक्रियाओं को विवरण होगा जो विभिन्न इकाईयों द्वारा लागू किया जाएगा।

प्रस्तावित दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय की सभी इकाईयाँ अपनी आन्तरिक गुणवत्ता–आश्वासन पद्धति विकसित करेंगी। ये पद्धतियाँ आईक्यूएसी अनुमोदन से इस नीति के अनुरूप गुणवत्ता–आश्वासन ढांचा निर्मित करेंगी तथा इससे अध्यापन कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों, शिक्षण कर्मी, अध्यापन–अध्ययन अनुभव, विद्यार्थी आंकलन, आन्तरिक निग्रह, सहायक सेवाएं, संसाधन एवं सुविधाएं तथा अनुसंधान एवं कार्यक्रम पुर्नअवलोकन प्रक्रिया होंगी।

8.2 बाह्य गुणवत्ता–आश्वासन

विश्वविद्यालय में उच्च गुणवत्ता स्तर सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के सलाह पर समय समय पर बाह्य अभिकरणों जैसे कि एनएएसी या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा गुणवत्ता का आवर्ती आंकलन कराया जाएगा।

9. आंकलन के परिणामों का उपयोग

गुणवत्ता तलचिन्ह से सम्बन्धित डाटा को एकत्रित कर मानक विधियों एवं साधनों द्वारा प्रसंस्कृत किया जाएगा। एकत्रित डाटा तथा पुर्नअवलोकन परिणामों के बारे में हितभागियों से परिचर्चा की जाएगी तथा इसके निष्कर्श का संस्था के प्रदर्शन को उन्नत बनाने में विधिवत उपयोग किया जाएगा।

10. पुर्नअवलोकन एवं संशोधन

नीतियों को आवर्ती पुर्नअवलोकन तथा जब भी जरूरत हो आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाएगा जिससे इसका तत्कालिक महत्व बना रहे। विश्वविद्यालय का कोई भी सदस्य इस नीति में सुधार के लिए आईक्यूएसी के पास प्रस्ताव भेज सकेगा। आईक्युएसी प्रस्तावित परिवर्तन का पुर्नअवलोकन के उपरांत इसे उचित पाने पर उच्च अधिकारियों के पास विचार करने हेतु भेजेगी।